लघु उद्योग क्षेत्र के लिए संगठन संरचना

लघु उद्योग मन्त्रालय

सरकार ने भारत में लघु उद्योग की नीति बनाने, संवर्धन और विकास के लिए एक नोडल मन्त्रालय के रूप में 14 अक्तूबर, 1999 को लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक नए लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय का सृजन किया था। लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय को 1 सितम्बर, 2001 को पृथक करके दो अलग-अलग मन्त्रालय नामतः लघु उद्योग मन्त्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय बनाए गए थे। उत्पादन, रोजगार और निर्यात के सन्दर्भ में लघु उद्योग क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की उच्च सम्भावनाओं पर विचार करते हुए लघु उद्योग मन्त्रालय की भूमिका बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को प्रतियोगी बनाना तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन्त्रालय का प्रयास लघु उद्योग क्षेत्र को उचित एवं समय पर निवेश उपलब्ध कराना है, जैसे :

1. वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से पर्याप्त साख/ऋण।
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के किए निधियाँ।
3. पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ।
4. आधुनिक परीक्षण सुविधाएँ और गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाएँ।
5. आधुनिक प्रबन्धन प्रक्रिया और अग्रणी प्रशिक्षण सुविधाओं के जरिए कौशल उन्नयन।
6. बाजार सहायता।
7. संचालित क्षेत्र में सममूल्य पर स्तरीय भूमिकावाले क्षेत्र।

लघु उद्योग मन्त्रालय लघु उद्योगों के संवर्धन तथा विकासार्थ अपने क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से डिजाइन तथा नीतियों का कार्यान्वयन करता है। यह मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयों/विभागों के साथ लघु उद्योग क्षेत्र की ओर से नीतिगत समर्थन के कार्यों का निष्पादन भी करता है।

लघु उद्योग मन्त्रालय का अवसंरचनात्मक ढांचा तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों तथा नीतियों का कार्यान्वयन इसके सम्बद्ध कार्यालयों नामतः लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड आदि के माध्यम से किया जाता है।

विकास आयुक्त
(लघु उद्योग)

लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो), जिसके अध्यक्ष अपर सचिव और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) हैं, देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उनके क्रियान्वयन को देखने के लिए एक सर्वोच्च निकाय है, इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। यह लघु उद्योग सेवा संस्थानों, शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थानों, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, फुटवियर प्रशिक्षण संस्थाओं, उत्पादन केन्द्रों, फील्ड परीक्षण केन्द्रों और विशिष्टता प्राप्त संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। यह निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है :

- लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए नीति बनाने में सरकार को सलाह देना।
- लघु इकाइयों को तकनीकी-आर्थिक और प्रबन्धकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएँ और विस्तार सेवाएँ प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीरण, गुणवत्ता सुधार और आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षण और कौशल बढ़ाकर मानव संसाधनों का विकास करना।
- आर्थिक सूचना सेवाएँ देना।
- केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और लघु उद्योगों के विकास से संबद्ध अन्य संगठनों के साथ निकट सम्पर्क और समन्वय रखना।
- बड़े और मझौले उद्योगों के सहायक के रूप में लघु उद्योगों के विकास के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करना और समन्वित करना।

विगत वर्षों में सीडो ने देश के विभिन्न भागों में फैले फील्ड संगठनों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से लघु उद्यमों के विकास के उत्प्रेरक के रूप में एक अत्यन्त उपयोगी कार्य किया है।

लघु उद्योग बोर्ड

लघु उद्योगों के अनेक विकास कार्यों में कई विभाग/मंत्रालय और केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अनेक संगठन शामिल हैं। समन्वय और अन्तर-संस्थागत सम्पर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए लघु उद्योग बोर्ड का गठन किया गया है। लघु उद्योगों से सम्बन्धित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए गठित किया गया यह सर्वोच्च सलाहकार निकाय है।

भारत सरकार के लघु उद्योग प्रभारी मन्त्री इसके अध्यक्ष होते हैं और बोर्ड में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य उद्योग मन्त्री, कुछ संसद सदस्य, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव, वित्तीय संस्थाएँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक एसोसिएशन और इस क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं।

नीतिगत मामलों से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए बोर्ड की आवधिक बैठकें होती हैं। जुलाई, 2002 तक बोर्ड की 47 बैठकें हो चुकी हैं।

लघु उद्योग सेवा संस्थान

देश-भर में राज्यों की राजधानियों और अन्य औद्योगिक शहरों में 30 लघु उद्योग सेवा संस्थान और 28 शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान स्थापित किए गए हैं। इन संस्थाओं के प्रमुख क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं :—

- भावी उद्यमियों को सहायता/परामर्श
- मौजूदा इकाइयों को सहायता/परामर्श
- राज्य औद्योगिक रूप-रेखाएँ तैयार करना
- जिला औद्योगिक सम्भाव्य सर्वेक्षण तैयार/अद्यतन करना
- परियोजना रूप-रेखाएं
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम
- उत्प्रेरणा अभियान
- उत्पादन सूचकांक
- प्रबन्ध विकास कार्यक्रम

- कौशल विकास कार्यक्रम
- ऊर्जा संरक्षण
- प्रदूषण नियन्त्रण
- गुणवत्ता नियन्त्रण और प्रोन्नयन
- निर्यात संवर्धन
- अनुषंगिक विकास
- सामूहिक सुविधा कार्यशाला/प्रयोगशाला
- विशिष्ट उद्योगों की निर्देशिका तैयार करना
- गहन तकनीकी सहायता
- जिला उद्योग केन्द्रों के साथ समन्वय
- राज्य सरकार के पदाधिकारियों से सम्पर्क
- बाजार सर्वेक्षण
- मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य योजना क्रिया-कलाप

लघु उद्योग सेवा संस्थानों और उनकी शाखाओं में विविध ट्रेडों में सामान्य सुविधा कार्यशालाएँ हैं। इस समय लघु उद्योग सेवा संस्थान/ शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान के साथ सम्बद्ध ऐसी 42 सामान्य सुविधा कार्यशालाएँ हैं।

लघु उद्योग सेवा संस्थानों आदि के पतों, उनके टेलीफोन तथा टेलेक्स/फैक्स नम्बरों की सूची परिशिष्ट-I पर है।

प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र (टी.आर.सी.)

लघु उद्योगों के लाभ के लिए विश्व-भर में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों की जानकारी लेने के लिए 1.10.2001 से 21 लघु उद्योग सेवा संस्थानों को (सूची नीचे दी गई है) प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों में बदल दिया गया है। ये प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र (टी.आर.सी.) निम्नलिखित कार्य करेंगे :

- प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र उन लघु इकाइयों की सहायता करेंगे जो अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत और आधुनिक बनाना चाहते हैं। प्रौद्योगिकी बनाने वाले भी अपने पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देने के लिए इस मंच का उपयोग कर सकते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए प्रोन्नयन कार्यों में लगी एजेन्सियों को भी टी.आर.सी. की सेवाओं से लाभ पहुँचेगा।
- टी.आर.सी. उत्पाद समूहों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएँगे जिसमें प्रौद्योगिकी का ब्यौरा (इसमें आधुनिकतम प्रौद्योगिकी, आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली और पारम्परिक प्रौद्योगिकी शामिल है) मशीनों और कच्चे माल की आपूर्तिकर्ताओं की सूची, गुणवत्ता स्तर, परामर्शदाताओं की उपलब्धता आदि शामिल है।
- टी.आर.सी. में उच्चतम कम्प्यूटरीकृत वातावरण होगा जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन में लगे शीर्ष संगठनों के साथ नेटवर्किंग सुविधा होगी।
- टी.आर.सी. के पास तकनीकी पुस्तकें, सूचियाँ, ब्रोशर आदि का संग्रह होगा जो नए बनाए गए टी.आर.सी. भाग में संस्थान के पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी।
- टी.आर.सी. लघु उद्योग इकाइयों द्वारा वैश्वीकरण स्तर प्राप्त करने के लिए नवीनतम और उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएँगे।
- टी.आर.सी. "प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण पद्धति, शीर्ष प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एजेन्सियों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि की जानकारी कैसे प्राप्त करें" पर भी जानकारी देंगे।
- टी.आर.सी. परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करने/आयोजित करने में भी सहायता करेंगे।

प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र स्थापित लघु उद्योग सेवा संस्थानों की सूची नीचे दी गई है :

1. लघु उद्योग सेवा संस्थान, कोलकाता
2. लघु उद्योग सेवा संस्थान, मुम्बई
3. लघु उद्योग सेवा संस्थान, बंगलौर
4. लघु उद्योग सेवा संस्थान, चेन्नई
5. लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद
6. लघु उद्योग सेवा संस्थान, गुवाहटी
7. लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना
8. लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली
9. लघु उद्योग सेवा संस्थान, पंजिम

10. लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन
11. लघु उद्योग सेवा संस्थान, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
12. लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर
13. लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर
14. लघु उद्योग सेवा संस्थान, कटक
15. लघु उद्योग सेवा संस्थान, लुधियाना
16. लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर
17. लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर
18. लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद
19. लघु उद्योग सेवा संस्थान, करनाल
20. लघु उद्योग सेवा संस्थान, गंगटोक
21. लघु उद्योग सेवा संस्थान, राँची

क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र (आर.टी.सी.)

नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र निर्यात योग्य उत्पादों सहित विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में लगी लघु इकाइयों को परीक्षण सुविधाएँ देते हैं। इन केन्द्रों में आधुनिकतम स्वदेशी और विदेशी मशीनें और उपकरण हैं जो विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल, रासायनिक, धातुकर्मीय और विद्युत उद्योगों में परीक्षण के लिए हैं। ये केन्द्र विभिन्न उत्पादों के लिए कार्य-निष्पादन परीक्षण, टाइप परीक्षण, स्वीकृति परीक्षण, अंशांकन सेवाएँ और प्रक्रियाओं के विकास की सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये केन्द्र बी.आई.एस., एन.टी.पी.सी., राइट्स, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त हैं।

क्रियाकलाप

ये परीक्षण केन्द्र परीक्षण सुविधाओं को प्रदान करने के अतिरिक्त निम्नलिखित में भी सहायता प्रदान करते हैं :

- गुणवत्ता उन्नयन
- परीक्षण और गुणवत्ता नियन्त्रण में प्रशिक्षण
- परीक्षण और गुणवत्ता प्रबन्धन में परामर्श
- गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणालियों का संसाधन

फील्ड टेस्टिंग केन्द्र (एफ.टी.एस.)

जयपुर, भोपाल, कोल्हापुर, बंगलौर, हैदराबाद, चंगनचेरी और पाण्डिचेरी स्थित फील्ड परीक्षण केन्द्र रसायनों, डाई-स्टफों, लैम्पों, रबर उत्पादों, बिजली की मोटरों और पम्पों, कास्टिंग और फोर्जिंग्स, पेन्ट और वार्निश, बिजली के घरेलू उपकरणों आदि जैसे विभिन्न उत्पादों के परीक्षण के लिए परीक्षण सेवाएँ और गुणवत्ता प्रोन्नयन परीक्षण उपलब्ध करा रहे हैं।

उद्योग संघों द्वारा परीक्षण केन्द्र

उद्योग संघों द्वारा प्रस्तावित परीक्षण केन्द्रों के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए राज्य सरकार से तुलनात्मक योगदान के आधार पर उद्योग संघों को एक बार दिया जाने वाला सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए 1994-95 में एक योजना आरम्भ की गई। बाद में इस योजना में सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए मौजूदा गुणवत्ता मार्किंग केन्द्रों को शामिल करने के लिए परिशोधन किया गया था।

हाल ही में इस योजना को और परिशोधित किया गया है और ऐसे उद्योग संघों को परीक्षण उपकरण लागत के 50% के बराबर एक बार दिया जानेवाला पूँजी अनुदान, अधिकतम 50 लाख रुपए दिया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों की परीक्षण प्रयोगशालाएँ लगाना और चलाना चाहते हैं। अब राज्य सरकारों के तुलनात्मक अंशदानों को समाप्त कर दिया गया है।

योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त केन्द्रों की सूची निम्नलिखित है :

- हुबली
- बेलगाम
- मदुरै
- औद्योगिक सम्पदा, गडग
- नागपुर
- गुवाहाटी
- बंगलौर
- मंगलूर
- अर्नाकुलम

- इम्फाल
- गुलबर्गा
- चालेकरा
- गंग्याल
- चेन्नई
- जगाधरी

क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों और फील्ड टेस्टिंग केन्द्रों के पतों और टेलीफोन तथा फैक्स नम्बरों की सूची परिशिष्ट-II पर है।

औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र (टी.आर.टी.सी.)

सीडो ने देश-भर में लघु उद्योग इकाइयों को अच्छी गुणवत्ता के औजार उपलब्ध कराके उनके तकनीकी प्रोन्नयन में सहायता देने के लिए 10 औजार कक्ष (टूल रूम) स्थापित किए हैं। क्योंकि इसमें भारी निवेश की आवश्यकता होती है इसलिए लघु उद्योग इकाई अपने निजी औजार कक्षों का खर्च वहन नहीं कर सकती। बढ़ती हुई इस माँग की पूर्ति के लिए जिसके एक बड़े भाग की पूर्ति आयात के जरिए की जाती है और लघु उद्योग इकाइयों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने सीडो के जरिए डेनमार्क और जर्मन संघीय गणराज्य जैसे देशों, जिन्होंने नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध कराई हैं, की सहायता से इन औजार कक्षों की सहायता की है। कुछ औजार कक्ष यूनिडो/आई.एल.ओ. की सहायता से भी स्थापित किए गए हैं।

इन औजार कक्षों, जिन्हें भारत सरकार सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है, का कार्य-प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा गठित अधिशासी परिषदों के पास होता है। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) इन सोसाइटियों के अध्यक्ष होते हैं और इनकी अधिशासी परिषदों के चेयरमैन होते हैं। अधिशासी परिषदों के संघठन में राज्य सरकारें, दाता देशों और उद्योग एसोसिएशनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।

सीडो के अधीन निम्नलिखित 11 औजार कक्ष काम कर रहे हैं—

1. केन्द्रीय औजार डिजाइन संस्थान, हैदराबाद
2. केन्द्रीय औजार कक्ष, लुधियाना
3. इंडो-जर्मन औजार कक्ष, अहमदाबाद
4. इंडो-जर्मन औजार कक्ष, औरंगाबाद
5. इंडो-जर्मन औजार कक्ष, इन्दौर
6. केन्द्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता
7. केन्द्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर
8. इंडो-डेनिश औजार कक्ष, जमशेदपुर
9. केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान, जालंधर
10. हस्त औजार डिजाइन, विकास और प्रशिक्षण केन्द्र—नागौर (राजस्थान)
11. औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र—गुवाहाटी

चेन्नई में कैड/कैम केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा लखनऊ, दिल्ली, बंगलौर, मैसूर और गोवा में औजार कक्ष चलाए जा रहे हैं।

औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र के लक्ष्य और उद्देश्य

औजार कक्षों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

1. अच्छी किस्म के औजार उपलब्ध कराकर प्रौद्योगिकी उन्नयन में लघु उद्योग इकाइयों की सहायता करना।
2. औजारों, जिगों, जुड़नारों, मोल्डिंग और डाइयों आदि के डिजाइन और उत्पादन के क्षेत्रों में परामर्श और सामान्य सेवा सुविधाएँ उपलब्ध कराकर लघु उद्योग इकाइयों की कार्य-कुशलता को बढ़ाना।
3. प्रेस औजारों, मोल्डिंग और धातु ढलाई के लिए डाइयों, जिगों और जुड़नारों जैसे सूक्ष्म औजारों और विशेष प्रयोजन के औजारों का डिजाइन बनाना और निर्माण करना।
4. औजार और डाई बनाने, मशीनिंग और फिटिंग में दीर्घ आवधिक प्रशिक्षण। पाठ्यक्रम और उद्योगों में काम कर रहे लोगों के लिए सम्बद्ध विषयों पर लघु अवधि वाले पाठ्यक्रम चलाना।

औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएँ

इन औजार कक्षों में प्रतियोगी दरों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के कार्य उपलब्ध कराने के लिए कैड/कैम जैसे नवीनतम आयातित उपकरण और सी.एन.सी. मिलिंग, सी.एन.सी. कॉपीमिलिंग, सी.एन.सी. ई. डी.एम-स्पार्क इरोज़न, सी.एन.सी. वायरकट, प्रोफाइल ग्राइंडिंग, ज़िग बोरिंग, ज़िग ग्राइंडिंग

आदि जैसी विशिष्ट सी.एन.सी. मशीनें होती हैं।

उपरोक्त सुविधाओं के साथ ये औजार कक्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्योगों की सहायता करते हैं—

(क) टूल डिजाइन और उत्पादन

(i) डाई और औजार, मोल्ड, ज़िग़ और जुड़नार, गेज और औजार उपस्करों आदि (एक माइक्रोन तक) का डिजाइन और विनिर्माण

(ii) कम्प्यूटर सहायक डिजाइन और कम्प्यूटर सहायक विनिर्माण (कैड/कैम)

(iii) सभी प्रकार के इस्पात का तापोपचार

(iv) गुणवत्ता नियन्त्रण और परीक्षण

(ख) प्रशिक्षण और परामर्श सेवा

(i) औजार और डाई बनाने वालों के लिए उद्योग आधारित दीर्घावधि प्रशिक्षण

(ii) प्रबन्धकों और पर्यवेक्षकों के लिए अपने ज्ञान और योग्यता को बढ़ाने के लिए अल्पावधिक प्रशिक्षण

(iii) कुशल कामगारों/औजार निर्माताओं/मशीन चालकों आदि के लिए आवश्यकता आधारित तकनीकी प्रशिक्षण

(iv) सी.एन.सी. प्रौद्योगिकी, निरीक्षण, गुणवत्ता नियन्त्रण परीक्षण आदि में प्रशिक्षण।

इन औजार कक्षों की सेवाओं का उपयोग निम्नलिखित किस्म के उद्योग कर रहे हैं :

1. इंजीनियरिंग उद्योग
2. ऑटोमोबाइल उद्योग
3. इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग
4. प्लास्टिक उद्योग
5. शीटमैटल उद्योग

औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्रों के पतों की सूची परिशिष्ट–III पर दी गई है।

प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र (पी.पी.डी.सी.)

इस समय 6 पी.पी.डी.सी. कार्य कर रहे हैं। ये हैं :

1. सुगन्ध और सुरस विकास केन्द्र, कन्नौज (उत्तर प्रदेश)
2. काँच उद्योग विकास केन्द्र, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)
3. प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र, मेरठ, (उत्तर प्रदेश)
4. प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा (उत्तर प्रदेश)
5. इलैक्ट्रॉनिकी सेवा और प्रशिक्षण केन्द्र, रामनगर, जिला नैनीताल (उत्तरांचल)
6. वैद्युत मापन यंत्र अभिकल्प संस्थान, मुम्बई (महाराष्ट्र)

क्रियाकलाप

- घने औद्योगिक समूहों वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास
- उत्पाद, डिजाइन और नवीनीकरण
- उत्पाद और प्रक्रिया सुधार तथा संशोधित पैकेजिंग तकनीक का विकास
- सामान्य सुविधा केन्द्र
- जनशक्ति विकास/प्रशिक्षण

एस.आई.टी.ए.आर.सी. पंप संस्थान (पी.पी.डी.सी.)

यह एक गैर–सरकारी संगठन के रूप में संस्थान है जिसे यू.एन.डी.पी., भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार की सहायता से कोयम्बतूर में स्थापित किया गया है। इस संस्थान का कार्य लघु इकाइयों द्वारा निर्मित पानी के पम्पों की प्रौद्योगिकी को समुन्नत करना है। इस संस्थान को अच्छे पानी के पम्पों के आदर्श (प्रोटोटाइप) तैयार करना है जिससे ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलेगी।

राज्य सरकारें भी कुछ पी.पी.डी.सी. चला रही हैं।

क्रियाकलाप

- विशिष्ट उद्योग की समस्याओं को देखना
- नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना और प्रौद्योगिकी के मौजूदा स्तर को उन्नत बनाना
- तकनीकी सहायता सेवाएँ देना।
- जनशक्ति विकास / प्रशिक्षण

पी.पी.डी.सी. के पतों की सूची परिशिष्ट–IV पर है।

केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान (सी.एफ.टी.आई.)

यह केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसका क्रियान्वयन सीडो द्वारा किया जाता है। सी.एफ.टी.आई. आगरा और सी.एफ.टी.आई. चेन्नई की शुरुआत विभागीय रूप से चलाए जा रहे केन्द्रीय जूता प्रशिक्षण केन्द्रों को बदलने के पश्चात भारत सरकार की सोसाइटियों के रूप में 1 जनवरी, 1996 को हुई थी ताकि संस्थानों को बेहतर कार्य सम्बन्धी स्वायत्तता दी जा सके। संस्थानों का मुख्य उद्देश्य व्यापार और उद्योग की आवश्यकता के अनुसार जूता उद्योग में कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है। दोनों संस्थान राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत यू.एन.डी.पी. की सहायता से आधुनिक बनाए गए हैं और जूता निर्माण में प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिकतम मशीनरी के साथ पूरी तरह से लैस हैं। इस समय दोनों संस्थानों में टेक्साइल इंस्टीट्यूट यू.के. के पाठ्यक्रम के आधार पर 'जूता डिजाइन और उत्पादन' में दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थान व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार जूता निर्माण में दीर्घ और अल्पावधिक पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त उद्योगों को जॉब कार्य आधार पर सामान्य सेवा सुविधाएँ दी जाती हैं। संस्थान उत्पाद विकास और गुणवत्ता नियन्त्रण, कच्चे माल और प्रबन्धकीय पहलुओं से जुड़ी लघु जूता विनिर्माण इकाइयों की परामर्शी सेवाएँ भी दे रहे हैं।

केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण केन्द्र कोलकाता पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहा है और प्रोजेक्ट सी.एफ.टी.सी., मुम्बई अभी क्रियान्वयन के अधीन है। सी.एफ.टी.सी. कोलकाता और सी.एफ.टी.सी. मुम्बई दोनों केन्द्र प्रायोजित परियोजनाएँ हैं जिनमें भारत सरकार भवन निर्माण और मशीनरी तथा उपकरण खरीदने के लिए एक बार दिया जाने वाला अनुदान देती है।

सी.एफ.टी.आई. के पतों की सूची परिशिष्ट-V पर है।

प्रशिक्षण संस्थान

राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एन.आई.एस.आई.ई.टी.) हैदराबाद

राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण, हैदराबाद में एक स्वायत्तशासी निकाय है, जो लघु उद्योग मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है। संस्थान का प्रमुख कार्य प्रशिक्षण देना है। इसके अतिरिक्त संस्थान अनुसंधान अध्ययन, परामर्शी कार्यकर्ता और अपने लघु उद्यम राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र (एस.ई.एन.डी.ओ.सी.) के माध्यम से सूचना सेवाएँ प्रदान करता है।

सामान्यत: संस्थान प्रत्येक वर्ष लगभग 60 राष्ट्रीय और 19 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व-भर से 300 से अधिक प्रबन्धक प्रशिक्षण के लिए आते हैं।

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एन.आई.ई.एस.बी.यू.डी, नई दिल्ली)

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नई दिल्ली लघु उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह संस्थान प्रत्येक वर्ष लगभग 28 राष्ट्रीय और 5 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान अनुसन्धान अध्ययन, परामर्शी कार्य, प्रशिक्षण सहायता के विकास आदि का कार्य करता है।

भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी

भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई.आई.ई.), लघु उद्योग मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन गुवाहाटी में एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह संस्थान लघु उद्योग उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित कर रहा है और अनुसन्धान और परामर्शी क्रियाकलाप कर रहा है। ये संस्थान प्रति वर्ष लगभग 70 कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करता है।

लघु उद्यमी प्रोन्नति और प्रशिक्षण संस्थान (सेप्टी) (एस.ई.पी.टी.आई.), तिरुवल्ला

इलैक्ट्रॉनिक मोटरों के लिए बनाया गया पूर्ववर्ती उत्पादन केन्द्र वर्ष 1992-93 में लघु उद्यमी प्रोन्नति और प्रशिक्षण संस्थान (सेप्टी), तिरुवल्ला के रूप में नवीकृत किया गया था ताकि पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए विशेषीकृत स्किल ओरिएण्टिड उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। संस्थान को इलैक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, सी.एन.सी.लैब, घरेलू विद्युत उपकरणों से युक्त लैब, एअर कण्डीशनिंग और रेफ्रिजरेशन लैब, सामान्य इंजीनियरिंग कार्यशाला से सज्जित किया गया है और दृश्य-श्रव्य सहायकों से युक्त 4 प्रशिक्षण हॉल बनाए गए हैं।

शिक्षित बेरोजगार युवकों की टेक्नो प्रबन्धकीय क्षमताएँ बढ़ाने के लिए संस्थान प्रारम्भ से ही विभिन्न व्यवसायों जैसे सामान्य इंजीनियरिंग, मोटर रीवाइंडिंग, घरेलू बिजली उपकरण, एअर कण्डीशनर और प्रशीतन आदि में स्किल ओरिएण्टिड

ई.डी.पी. का प्रचालन कर रहा है। सामान्यत: संस्थान प्रति वर्ष 2 चरणों में 16 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई. डी.पी.) आयोजित करता है इसके अलावा केन्द्र ने स्वत: संयोजित आधार पर 3 महीने से 12 महीने की अवधि के कुछ डिप्लोमा और पी.जी. डिप्लोमा कोर्स भी चलाए हैं। केन्द्र टी.आर.वाई.एम.ई.एम. और पी.एम.आर.वाई. (प्रधानमन्त्री रोजगार योजना) के लिए प्रशिक्षण का भी आयोजन करता है।

लघु उद्यमी प्रोन्नति एवं प्रशिक्षण संस्थान (सेप्टी), एट्टमानूर

वर्ष 1999–2000 में उत्पादन केन्द्र एट्टमानूर, लघु उद्यमी प्रोन्नति और प्रशिक्षण संस्थान (सेप्टी) में परिवर्तित कर दिया गया था ताकि केरल के उद्यमियों को उस क्षेत्र की माँग के अनुसार विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा सके। चूँकि इस समय केन्द्र के पास कोई भी आन्तरिक (इनहाउस) प्रशिक्षण सुविधा नहीं है अत: यह ऐसे व्यवसायों के लिए जिनकी क्षेत्र में माँग है, प्रशिक्षण सुविधा केन्द्रों को विशेषाधिकार दे रहा है। संस्थान ने अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद उचित प्रशिक्षण सुविधा केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया है और समान प्रतिमानों की शर्तों के अनुसार उचित प्रशिक्षण कोर्स उन्हें सौंप दिए गए हैं। प्रशिक्षण की प्रगति की गहराई से जाँच की जाती है, परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं और संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

प्रशिक्षण संस्थानों के पतों की सूची परिशिष्ट–VI पर दी गई है।

सीडो सेवाएँ

आधुनिकीकरण/इन-प्लांट अध्ययन

घने उद्योग समूहों में अवस्थित इकाइयों में यह कार्य किया जाता है। आधुनिकीकरण के लिए यह कार्यक्रम बनाए जाते हैं और कार्यान्वित किए जाते हैं।

परीक्षण सेवाएँ

ये सेवाएँ आर.टी.सी., क्षेत्र परीक्षण केन्द्रों और लघु उद्योग सेवा संस्थानों से जुड़ी कार्यशालाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

अनुषंगीकरण—विक्रेता विकास कार्यक्रम/उप-संविदा केन्द्र

भारत में अनुषंगीकरण और उप-संविदा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित लगभग सभी कोड सैक्टरों जैसे रक्षा/रेलवे/टेलीकम्यूनिकेशन/हैवी इलैक्ट्रिकल्स, इलैक्ट्रोनिक्स, रसायन, खाद, पेट्रोलियम/पैट्रो-रसायन, जलयान और वायुयान निर्माण और अन्य विभिन्न इंजीनियरिंग और संसाधन उद्योग के लिए उपकरण निर्माण के साथ-साथ ही शुरू किया गया था। बड़े उद्योगों विशेष रूप से एच.एम.टी. (हिन्दुस्तान मशीन टूल्स) और अन्य पी.एस.यू. ने स्तरीय और निम्न प्रौद्योगिकी मदों को लघु उद्योग में उप संविदा का कार्य शुरू किया जिससे अनुषंगीकरण का एक ठोस आधार विकसित हुआ और उद्योगों के विकास के लिए प्रचुर मात्रा में उत्पादन के लिए सहायता मिली।

पी.एस.यू. अर्थात सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की नियन्त्रण एजेन्सी ने लघु उद्योग विकास संगठन के परामर्श से अनुषंगीकरण के द्वारा लघु और बड़े उद्योगों के बीच सहभागिता सम्पर्कों के लिए मार्ग निर्देश बनाए हैं। मार्ग निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसी मदों के लिए, जिन्हें लघु उद्योग क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है अथवा ऐसी मदों (जिनके लिए लघु उद्योग में प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी) के डिजाइन, विकास, अनुसंधान और सूक्ष्म मदों के निर्माण तथा मानक मदों की उप-संविदाओं से सम्बद्ध प्रमुख क्रियाकलापों पर ध्यान देने के लिए कहा गया था। अनेक मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसी लघु/सहायक इकाइयों को कच्चा माल, प्रौद्योगिकी, औजार, गुणवत्ता नियन्त्रण/परीक्षण तथा समान वित्तीय सहायता देने को कहा गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों/निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों तथा सहायक उद्योगों के सम्मिलित रूप ने आदर्श साझेदारी के रूप में कार्य किया तथा प्रौद्योगिकी सहायता, विशिष्ट निर्माण सुविधा, कच्चे माल, औजार, परीक्षण सुविधाओं और वित्तीय सहायता के अतिरिक्त सहायक उद्योगों के लिए पक्के आदेशों के साथ उप संविदाओं को उपलब्ध कराया।

सहायता की अवधारणा ने यद्यपि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्षेत्र में कुछ भागों तक ही सीमित थी, भारतीय उद्योगों के बीच उप-संविदा साझेदारी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में उल्लेखनीय कार्य किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनके सहायक उद्योगों दोनों ने साझेदारों के रूप में प्रशंसनीय कार्य किया जैसा कि आधुनिक आपूर्ति, शृंखला प्रबन्ध में आवश्यक है। उनके बीच सफलता पाने की भावना थी। सरकारी/निजी क्षेत्र में बड़े

लघु उद्योग के साथ उप-संविदा/साझेदारी की भूमिका को उनकी सफलता के लिए प्रमुख योगदान मानते हैं।

निजी क्षेत्रों जैसे टेल्को, एस्कॉर्ट्स, आइशर, अशोक लेलैण्ड, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा और अन्य बड़े उद्योगों ने भी अपनी अनुषंगी शाखाओं की शृंखला विकसित की है और अपने घटकों के एक बड़े हिस्से की उप संविदा की है, बेशक वे मानक और निम्न प्रौद्योगिकी/निम्न मूल्य की मदों तक ही सीमित हैं तथापि भारत में निजी क्षेत्र साझेदारी और उप संविदा के लिए बढ़िया आधार उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि सरकारी निजी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किया गया था।

आर्थिक सुधार 1991 में शुरू किए गए और विश्व व्यापार संगठन (डब्लू टी.ओ.) समझौते ने भारतीय विनिर्माण उद्योगों के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित किया।

उदारीकरण भारतीय उद्योगों को वैश्वीकरण प्रतियोगिता के लिए तेजी से सामने ला रहा है। उद्योगों की विद्यमानता और सफलता अपेक्षित गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ-साथ मुख्यत: उनकी प्रतियोगितात्मकता और मूल्य प्रभाव पर भी निर्भर करता है। उद्योगों के बचे रहने और उनकी सफलता काफी हद तक उनकी प्रतियोगी क्षमता और कम लागत पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त वांछित गुणवत्ता को बनाए रखना भी जरूरी है। बड़े उद्योगों का प्रमुख क्रियाकलापों पर विशेषज्ञता प्राप्त करने और ध्यान देने और शेष कार्य को लघु उद्योगों पर छोड़ने का भी आर्थिक दबाव रहता है। उद्यमियों पर बढ़ता हुआ प्रतियोगी दबाव उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त करने और प्रमुख क्रियाकलापों पर ही ध्यान केन्द्रित करने के लिए है जबकि शेष कार्य को उप संविदा/विक्रेताओं पर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि लागत को कम किया जा सके और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। प्रमुख क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने व शेष कार्य को बाह्य स्रोतों के माध्यम से उप-ठेकेदारों पर छोड़ने की ऐसी नीति ने औद्योगिक उपक्रमों को पूँजी, श्रम में कमी करने, प्रबन्धकीय और क्रय लागत आदि में कमी करने में मदद की है जबकि उत्पादकता और प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि की है।

लघु इकाइयों को प्रतियोगी बाजार में अपने उत्पादों के विपणन के लिए भी कठिनाई होती है जिसके फलस्वरूप वे अपनी इकाइयों में उपलब्ध क्षमताओं का अधिकतम सम्भव सीमा तक उपयोग कर नहीं पाती। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योगों को अपने उत्पादों के विपणन में एक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए बड़े/मझोले उपक्रमों के साथ व्यावसायिक सन्दर्भ स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। भारत में लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए एक उपकरण के रूप में औद्योगिक उप-संविदा (प्राय: इसे सहायता के रूप में लिया जाता है) के संवर्धन के लिए अनेक उपाए किए हैं। भारत में ऐसी नीति संरचना तैयार की है जो उप-संविदा को प्रोत्साहन देती है।

सहायक उद्योगों के लिए बी.पी.ई. मार्ग निर्देशों अर्थात सहायक उद्योगों के लिए सरकारी संरक्षण हटा लेने के बाद भी, विशेषकर लघु उद्योग द्वारा स्वीकार की गई चुनौतियों और सीडो द्वारा किए गए प्रयासों को ध्यान में रखकर भी सहायक उद्योगों और उप संविदा का सिलसिला नहीं रुका।

प्रचालन स्तर पर लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) ने देश में सहायक उद्योगों और उप-संविदा को प्रोन्नत करने के लिए सहायक उद्योग विकास सैल स्थापित किया था और विश्व व्यापार संगठन के करारों के फलस्वरूप आयातित सामान के साथ प्रतियोगिता के कारण असफलता के मनोवैज्ञानिक डर को दूर करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नए मार्ग खोलने के लिए चुनौतियों को स्वीकार किया है। यह कार्य लघु उद्योगों और क्रेता संगठनों, जो अब तक बड़ी मात्रा में सूचना अथवा विक्रेता विकास कार्यक्रमों के आयोजन की संकल्पना पर निर्भर करते थे, को एक सामूहिक प्लेटफार्म उपलब्ध करा कर और देश के विभिन्न भागों में उप संविदा का आदान-प्रदान स्थापित करके सहायक उद्योगों और उप-संविदा को समृद्ध करने के गहन प्रयासों के माध्यम से हुआ।

विक्रेता विकास कार्यक्रम

अमरीका में एक विश्व बैंक अध्ययन से पता चला है कि प्रमुख ठेकेदार/विनिर्माता अब बाह्य साधनों के लिए भारत को नं.1 विकल्प दे रहे हैं। आज विश्व-भर के कार्पोरेट बाह्य साधन के लिए भारत को अपना सबसे अधिक उपयुक्त स्थान मानते हैं। तेजी से विकसित होती अपनी तकनीकी जानकारी और आधारभूत सुविधाओं में सुधार के साथ भारत बाहरी साधनों के लिए पसंदगी का स्थान बन गया है। इस अनुकरणीय बदलाव के पीछे के कारणों में सरकार की उदार नीतियाँ/समर्थन, नवीनतम तकनीकी जानकारी/विनिर्माण तकनीकों/इंजीनियरिंग, दुर्लभ कच्चे माल/घटकों, कुशल मानवीय संसाधनों, स्थानीय उद्यमियों के बीच गुणवत्ता सुधार के लिए जागरूकता का पैदा होना और सार्वभौमिक दृष्टिकोण के साथ विश्वव्यापी समय क्षेत्रों को पूरा करना है और इससे लागत

में काफी बचत हुई है। पश्चिमी देशों और जापान की तुलना में लघु और मझोले/बड़े उद्योगों के बीच आपसी सम्पर्क भारत में अभी विकसित नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकीय विकास और विशिष्ट ज्ञान में इसे लघु और मझोले/बड़े उद्योग के बीच लाभप्रद आपसी सम्पर्क बढ़ाने के लिए अनिवार्य बना दिया है। विक्रेता विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य इस सम्बन्ध को बनाता है।

विक्रेता विकास कार्यक्रम—बाहरी संसाधनों के लिए मंच

विक्रेता विकास कार्यक्रम व क्रेता-विक्रेता बैठकें और प्रदर्शनियाँ एक-दूसरे के साथ परस्पर कार्रवाई के लिए क्रय-विक्रय करने वाले संगठनों को एक सामूहिक मंच उपलब्ध कराते हैं। क्रेता उन चीजों का प्रदर्शन करते हैं जो उन्हें बाहरी साधनों से खरीदने की आवश्यकता होती है और इसमें वे गुणवत्ता और मात्रा विशेष का उल्लेख करते हैं; जबकि विक्रेता भी कुछ मामलों में विभिन्न मदों के निर्माण को अपनी क्षमता, अपने गुणवत्ता मानदण्ड आदि का प्रदर्शन और क्रेताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सीधे क्रियाकलापों का सुनिश्चय करने से व्यावसायिक सम्पर्कों की स्थापना में एक-दूसरे के द्वारा दी जा रही सुविधाओं को समझने में मदद मिलती है। वे तकनीकी विशेषताओं, उत्पादों की गुणवत्ता, अपेक्षित मात्रा, सुपुर्दगी की समय सारणी और भुगतान की शर्तों आदि के बारे में चर्चा करते हैं। क्रेता संगठन ऐसे संभावी उद्यमियों का चयन कर पाते हैं, जिनमें विक्रेताओं (लघु उद्योग इकाइयों) की समताओं का पता लगाकर तुरन्त अथवा भविष्य में विभिन्न पुर्जों संयोजनों/उप-संयोजनों का कार्य कराया जा सकता है।

कार्यक्रमों की कुछ उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं :

(क) इन कार्यक्रमों से उद्यमियों को बड़ी मात्रा में गुणवत्ता के बारे में ऐसी जानकारियों का पता चलता है जिसकी विक्रेता उनसे आशा रखते हैं और यह भी कि किस मात्रा तक उन्हें विक्रेताओं के मानदण्डों की पूर्ति के लिए अपनी मशीनों और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने/उन्हें आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ख) ऐसे कार्यक्रम अनेक क्रेता संगठनों अर्थात रक्षा और रेलवे के विनिर्माण/क्रय संगठन, अन्य सरकारी विभागों के विनिर्माणों/क्रम संगठन और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विनिर्माण/क्रय संगठनों द्वारा बाहरी संसाधन के लिए उपयुक्त उद्यमियों का पता लगाने के लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ऐसी बैठकों से ऐसे अनेक उत्पादों जिन्हें अब तक विदेशी मुद्रा के जरिए भारी लागत पर आयात किया जाता था, उन्हें देश में बनाने में मदद मिली है और साथ ही लघु उद्यमियों को अपनी गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद मिली है।

(ग) ये कार्यक्रम लघु उद्यमियों की मदों, उनकी गुणवत्ता, मात्रा, खरीद और निरीक्षण प्रक्रिया भुगतान की शर्तों आदि की जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

(घ) सीडो द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रम, रक्षा-स्थापना, रेलवे, ओ.एन.जी.सी., आई.ओ.सी.आदि के लिए विक्रेताओं के रूप में अपने अस्तित्व के बनाए रखने के लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराकर विश्व-व्यापार संगठन से प्रभावित प्रणाली से उत्पन्न होने वाले भय को दूर कर सकते हैं।

ऐसे कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए भारत के माननीय प्रधानमन्त्री ने लघु उद्योग और विशेष रूप से अति लघु उद्योग क्षेत्र से व्यापक नीति पैकेज की घोषणा करते समय यह उल्लेख किया था कि विक्रेता विकास कार्यक्रम व विक्रेता-क्रेता बैठकें और प्रदर्शनियाँ जल्दी-जल्दी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में लगाई जाएँगी।

भारत के प्रधानमन्त्री के निर्देशों के अनुरक्षण में लघु उद्योग विकास संगठन ने देश के विभिन्न भागों में राज्य स्तर और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अधिक मात्रा में विक्रेता विकास कार्यक्रम प्रणाली बृहद रूप से आयोजित करके बाह्य संसाधनों की अवधारणा को मूर्तरूप देने के लिए अपने प्रयासों को तेज किया।

उप-संविदा और उप-संविदा भागेदारी कार्यक्रम

बाह्य संसाधनों के लिए क्रेताओं द्वारा उपर्युक्त विक्रेताओं/उप-ठेकेदारों की पहचान करना आसान काम नहीं है। यह कठिन, अत्यधिक समय लेने वाला और कभी-कभी मायूस कर देनेवाला होता है। यही बात विक्रेताओं/उपठेकेदारों के लिए उपयुक्त क्रेताओं का पता लगाने के लिए, जो कि उन्हें दीर्घावधिक सम्पर्क प्रदान कर सकते हैं, भी समान रूप से लागू होती है। एक अन्य प्रयास के रूप में उप-संविदा आदान-प्रदान अथवा उप-संविदा साझेदारी संवर्धित करने का है। ऐसा आदान-प्रदान लघु इकाइयों की क्षमताओं का उनके

द्वारा निर्मित उत्पादों/उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में आँकड़ों को इकट्ठा करना है। इसके साथ ही कराई गई सेवाओं के बारे में आँकड़े रखना भी है, जो उत्पादों/घटकों/उप-संयोजनों/सेवाओं के बारे में हो सकता है। इस आदान-प्रदान में उपर्युक्त मामलों में क्रेताओं द्वारा अपेक्षित/विक्रेताओं के पास उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के विनिर्देशों और मात्राओं आदि के बारे में रखे गए आँकड़े भी हो सकते हैं। ऐसे आँकड़ों को रखने का प्रमुख उद्देश्य क्रेता और विक्रेता के बीच ऐसे उपयुक्त साफ्टवेअर की व्यवस्था करना है जिससे व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि हो।

अत: आदान-प्रदान से ऐसे उप-ठेकेदारों के पास उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे क्रेताओं को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी ओर इसमें ऐसे क्रेताओं जो बाह्य संसाधनों की खोज कर रहे हैं, के बारे में उप-ठेकेदारों/विक्रेताओं की जानकारी देने में मदद मिलती है।

1991 में उदार नीति पैकेज की घोषणा के बाद उद्योग एसोसिएशन/गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्पित उप-संविदा केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक योजना भी शुरू की गई थी। इस विशेष योजना के अन्तर्गत बाह्य संसाधनों को गति प्रदान करने के लिए उप-संविदा आदान-प्रदान की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता (चालू योजना के माध्यम से) प्रदान करके देश के विभिन्न भागों में 43 उप-संविदा केन्द्र मंजूर किए गए हैं।

यात्राएँ करके अथवा विक्रेता विकास कार्यक्रम व क्रेता-विक्रेता बैठकें और प्रदर्शनियों का आयोजन करके क्रेताओं-विक्रेताओं के संगत आँकड़े इकट्ठे करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

1985 के बाद से यूनिडो में ऐसे औद्योगिक साझेदारी की संकल्पना की रक्षा और उसके संवर्धन का प्रयास किया जिसमें विशिष्टता और उप-संविदा तथा आपूर्तिकर्ता के अद्यतन प्रौद्योगिकीय कौशल के आधार पर जिससे एक-दूसरे के अधिकारों और दायित्वों को स्वीकार करते हुए निष्पक्षता, आपसी सद्भाव और सामूहिक लाभ के ढाँचे में सहमत उद्देश्यों और रुचि के आधार पर एक सच्ची साझेदारी का विकास करने के लिए प्रमुख ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के बीच सही साझेदारी विकसित करने के लिए एस.पी.एक्स. के गठन के माध्यम से निष्पक्ष और अधिक अन्त:कम्पनी सम्बद्ध विकसित होने का मार्ग प्रशस्त होता है, के आधार पर औद्योगिक उप-संविदा के आधुनिक रूप की व्याख्या की है।

यूनिडो ने अब तक भारत सहित विश्व के अनेक देशों में 50 उपसंविदा केन्द्र स्थापित करने में मदद दी है। भारत में पहला प्रायोगिक उपसंविदा केन्द्र सीडो के अधिपत्य में एस.आई.एस.आई. चेन्नई में स्थापित हुआ था। चेन्नई में स्थापित उप संविदा केन्द्र के अतिरिक्त छ: और उपसंविदा केन्द्र तीन सी.आई.आई. के साथ (दिल्ली, पुणे, हैदराबाद) एक कासिया (बंगलौर में), एक लुधियाना में और एक इलैक्ट्रॉनिकी सॉफ्टवेअर के साथ नई दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। इनमें विभिन्न चरणों में कार्य चल रहा है और पूरी तरह से परिचालन की प्रक्रिया में है।

ऐसे आदान-प्रदानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त यूनिडो ने 'यूनी-डोस' सॉफ्टवेअर भी उपलब्ध कराया है, जिसे बाह्य संसाधन 2000 के लिए उन्नत किया जा रहा है। यह साफ्टवेअर क्रेता/विक्रेता आँकड़े रखने में और अनुकूलन के लिए इसके विश्लेषण में और बाद में परस्पर लाभ के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए सम्बन्धित लोगों को सूचनाएँ भेजने में मदद करेगा।

मौजूदा और नई उद्यमिता विकास संस्थाओं की आधारभूत प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता

लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्यम की औद्योगिक नीति में उद्यम विकास, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के बीच विकास पर काफी बल दिया गया है। प्रशिक्षण सुविधा तेज करने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना की गई है। उन्हें मजबूत बनाने की एक योजना 1993-94 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता विकास प्रयासों की सहायता के लिए राज्य स्तर की मौजूदा/प्रस्तावित प्रशिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

इस योजना के अन्तर्गत इमारतों, प्रशिक्षण सहायता और अन्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक मामले में अधिकतम 50 लाख रुपए तक की मैचिंग आधार पर (50%) वित्तीय सहायता दी जाती है। उद्यमिता विकास संस्थाओं की स्थापना के प्रस्तावों की विस्तार/आधुनिकीरण करने के प्रस्तावों की पहले राज्य सरकार द्वारा जाँच करने के बाद विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को अपनी सिफारिश के बाद भेज दिए जाते हैं। इन प्रस्तावों में परियोजना की लागत और वित्त के संसाधनों का स्पष्ट उल्लेख करना होता है। राज्य

सरकारों के माध्यम से प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थाओं के प्रस्तावों की एक जाँच समिति द्वारा संवीक्षा की जाती है जो अपर सचिव व विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में गठित की जाती है और इसमें निदेशक, लघु उद्योग मंत्रालय, निदेशक/उप-सचिव (आई एफ विंग) और योजना का कार्य देख रहा औद्योगिक सलाहकार सदस्य होते हैं।

आठवीं योजना अवधि में योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की आधारभूत सेवाओं को मजबूत करने के लिए लखनऊ (उत्तर प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), भोपाल (मध्य प्रदेश), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (उड़ीसा), कोच्चि (केरल), शिमला (हिमाचल प्रदेश), गुड़गाँव (हरियाणा), मदुरै (तमिलनाडु) और जयपुर (राजस्थान) में निर्धारित अनुमानित लक्ष्यों के अनुसार 10 उद्यमिता विकास संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई थी ताकि देश के अधिक भाग में उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए अतिरिक्त वार्षिक क्षमता में वृद्धि की जा सके। योजना को उपयोगी पाया गया और इसे 9वीं योजना अवधि के दौरान रखने का विचार बनाया गया। अपनी प्रशिक्षण सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सात नई उद्यमिता विकास संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई जो पूर्व स्वीकृत दस उद्यमिता विकास संस्थाओं को मैचिंग आधार पर वित्तीय सहायता दिए जाने के अतिरिक्त है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व एस.एस.आई. और ए.आर.आई. मंत्रालय ने सहस्राब्दि के लिए अपने मिशन के अन्तर्गत कुछ मुद्दे निर्धारित किए। मिशन के अन्तर्गत के मुद्दों में से एक प्रबन्ध और उद्यमिता प्रशिक्षण में लगे प्रीमियर संस्थानों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ाना था। अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता के अधीन मार्च, 2000 में एक समिति गठित की गई थी जिसमें प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं के 9 सदस्य और योजना का कार्य देख रहे विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय से एक निदेशक सदस्य के रूप में थे। विचार-विमर्श के पश्चात समिति ने सिफारिश की थी कि योजना के अन्तर्गत सहायता सीमा में वृद्धि करके आधारभूत सेवाओं के विकास के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य मंत्री (लघु उद्योग) द्वारा वित्तीय सहायता के विधिवत् अनुमोदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया था कि उद्यमिता विकास संस्थाओं की वित्तीय सहायता को मैचिंग के आधार पर मौजूदा 50 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 100 लाख रुपए कर दिया जाए।

यह भी निर्णय किया गया था कि बढ़ोतरी से पहले उद्यमिता विकास संस्थाओं को परिवर्तन से होने वाले लाभ मिलेंगे। तद्नुसार इमारत, प्रशिक्षण सहायता, उपकरण और अन्य सहायक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए मैचिंग आधार पर प्रत्येक मामले में योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की सीमा को 50 लाख रुपए से 100 लाख रुपए करते हुए सितम्बर, 2001 में एक प्रशासनिक आदेश/परिपत्र जारी किया गया था। इसके फलस्वरूप मौजूदा उद्यमिता विकास संस्थाओं, जिन्हें योजना के अन्तर्गत अधिकतम 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिली थी, ने नौवीं योजना अवधि के अन्त तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता का लाभ उठाया।

ई.डी.पी. प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण की दृष्टि से देश-भर में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में आधारभूत सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में योजना पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई। तब से यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी लागू रही। योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थाओं से मिली जानकारी के आधार पर यह पाया गया कि योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में गुणवत्ता और मात्रिक दोनों ही दृष्टि से वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम

युवाओं (पुरुषों और महिलाओं) को ऐसे विभिन्न पहलुओं, जिन पर लघु उद्योगों की स्थापना करते समय विचार किया जाना आवश्यक होता है, की जानकारी देकर उनकी छुपी हुई योग्यता को उपयोग में लाने के लिए नियमित प्रशिक्षण क्रियाकलाप के रूप में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की अवधि 4 से 6 सप्ताह की होती है और इनमें कम से कम 20 भागीदार होते हैं।

शहरों के वर्गीकरण के आधार पर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, तथा जम्मू और कश्मीर, जहाँ 150 रुपए का प्रति भागीदार पाठ्यक्रम शुल्क लिया जा रहा है, सभी स्थानों में 250 रुपए से 1000 रुपए के बीच न्यूनतम पाठ्य-शुल्क लिया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शुल्क पर 50% की रियायत उपलब्ध है। फील्ड संस्थाओं अर्थात् लघु उद्योग सेवा संस्थाओं/क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अधिकतम 35,000 रुपए की राशि दी जाती है।

प्रबन्ध विकास कार्यक्रम

प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य स्वदेशी/विदेशी बाजारों में बेहतर लाभ और पर्याप्त मात्रा में हिस्सेदारी प्राप्त

करने के लिए लघु उद्यमियों की सहायता के लिए नई प्रबन्ध तकनीकों और प्रक्रियाओं में आधुनिकतम जानकारी देना है। ये कार्यक्रम लक्षित समूहों की स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा तैयार किए और चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं, जिनमें प्रबन्धन और दस्तावेजन, सामग्री दस्तावेजन, वित्तीय प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी और निर्यात आदि शामिल हैं, से सम्बन्धित विषय होते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम इन विषयों पर अलग-अलग से भी आयोजित किए जा सकते हैं। 30 घण्टे की अवधि के प्रत्येक पाठ्यशुल्क के लिए 13,000 रुपए (अधिकतम) स्वीकृत किए जाते हैं जिसमें कम से कम 20 उम्मीदवार होते हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर, जहाँ प्रति उम्मीदवार 100 रुपए प्रति पाठ्यक्रम लिया जाता है, वहां दूसरे सभी स्थानों के लिए प्रति उम्मीदवार कम से कम 400 रुपए लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों से 50% पाठ्य शुल्क लिया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थानों को आधारभूत प्रशिक्षण सुविधाओं के समुचित विकास के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाता है।

कौशल विकास कार्यक्रम

मूल उद्देश्य लघु उद्योगों में लगे कुशल कामगारों को प्रशिक्षण देना और उन्हें उत्पादन के बेहतर और संशोधित प्रौद्योगिकीय कौशल की जानकारी देना है। लघु उद्योग सेवा संस्थान अपनी कार्यशालाओं में विभिन्न तकनीकी व्यापारों और विनिर्माण प्रक्रियाओं में नियमित पाठ्यक्रम चलाते हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे तकनीकी पाठ्यक्रम वर्ष में दो या तीन बार चलाए जाते हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में मशीन शाप अभ्यास, ताप उपचार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, शीट मेटल, वैल्डिंग, टूल और डाई निर्माण, बढ़ईगीरी, लेन्स ग्राइण्डिंग, सिरेमिक्स, औद्योगिक और कला वस्तुओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रम होते हैं।

पर्यावरणीय नियन्त्रण के लिए पहल

लघु उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का अपनाया जाना

लघु उद्योगों के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के संवर्धन, विकास और उन्हें अपनाए जाने की योजना, जिसमें कूड़े-करकट के पुन: उपयोग और पुन: उपयोग की पहले बनाई गई नीति शामिल है, जारी रखी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित नए क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं—

- डाई एण्ड डाई इण्टरमीडिएट उद्योगों में वेस्ट मिनिमाइजेशन डेमोस्ट्रेशन स्टडीज पूरी की गईं।
- लघु उद्यागों में वेस्ट मिनिमाइजेशन पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं।

योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाएँ भी चलाई जा रही हैं :

- चावल मिलों, वस्त्र-रंगाई और छपाई और सागो उद्योग में वेस्ट मिनिमाइजेशन डेमोस्ट्रेशन अध्ययन।
- वेस्ट मिनिमाइजेशन और स्वच्छ उत्पादन पर सफल कहानियों का सार-संग्रह तैयार करना।

लघु उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण (वेस्ट मिनिमाइज़ेशन)

विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के साथ लघु उद्योगों में वेस्ट मिनिमाइजेशन पर एक परियोजना आरम्भ की गई है। इस परियोजना के क्षमता निर्माण क्रिया-कलापों के अन्तर्गत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने 84 संगठनों से लगभग 118 उम्मीदवार प्रशिक्षित किए हैं। इनमें से 74 संगठनों को चुना गया है जो कूड़ा-करकट को कम से कम करने और वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्किलों (डब्ल्यू.एम.सी.) स्थापित करने और चलाने की अवधारणा को संवर्धित करने के लिए सुविधादाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। इनमें से 24 सुविधादाताओं के विभिन्न क्षेत्रों में 43 डब्ल्यू.एम.सी. स्थापित करने के लिए चुना गया है। ये सर्किल कार्य के विभिन्न चरणों में हैं।

परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के आशय से लघु उद्योगों में अपशिष्ट को कम से कम करने के लिए मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ नियुक्त किया है।

पर्यावरण नियन्त्रण

लघु उद्योग को जल और वायु प्रदूषण के अन्तर्गत सहमति देने की पद्धति को सरल किया गया है। नीचे दिए गए 17 अत्यन्त प्रदूषण वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में लघु उद्योग इकाइयों को केवल एक आवेदन भरना होगा और उसकी पावती लेनी होगी जो सहमति के प्रयोजनार्थ काम

आएगी :

1. उर्वरक (नाइट्रोजन/फास्फोरस)
2. चीनी
3. सीमेंट
4. किण्वन और डिस्टलरी
5. अल्यूमिनियम
6. पैट्रोरसायन
7. थर्मल पावर
8. तेल रिफाइनरी
9. सलफ्यूरिक एसिड
10. चर्मशोधन
11. ताँबा प्रशालक
12. जस्ता प्रशालक
13. लौह–इस्पात
14. गूदा और कागज
15. डाई एण्ड डाई इंटरमीडिएट्स
16. कीटनाशक निर्माण और उत्पादन
17. आधारभूत औषध और भेषज

विश्व व्यापार संगठन सैल

विश्व व्यापार संगठन से सम्बन्धित अद्यतन गतिविधियों से संबन्धित समन्वय के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में एक विश्व व्यापार सैल की स्थापना की गई है। इस सैल को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

- विश्व व्यापार संगठन के सभी करारों से संबद्ध मुद्दों पर कार्रवाई करना और अद्यतन जानकारी रखना।
- हाल की घटनाओं के बारे में लघु उद्योग एसोसिएशनों और एम.एस.ई. इकाइयों की जानकारी देना और उन्हें तद्नुसार ऐसी जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार करना जो लघु उद्योग क्षेत्र में उनके सामने आएँगे।
- विश्व व्यापार संगठन करारों के अनुकूल लघु उद्योगों के लिए नीति तैयार करना।
- बड़े और छोटे स्तरों पर विशेष रूप से लघु उद्योग इकाइयों के लिए विश्व व्यापार संगठन संवेदी सेमिनारों, कार्यशालाओं का आयोजन करना ताकि लघु/अतिलघु क्षेत्र विश्व व्यापार संगठन के करारों को समझ सकें।

लघु उद्योगों द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए हाल ही में बनाई गई एम.डी.ए. योजना में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने, विदेश अध्ययन द्वारा, प्रकाशन सामग्री तैयार करने, बाजार अध्ययन आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसी लघु उद्योग एसोसिएशनों को एक लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जिन्होंने डम्पिंग के विरुद्ध जाँच आरम्भ कर दी है। योजना के अन्तर्गत मै० ई.ए.एन. इंडिया से बार कोडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। डम्पिंगरोधी उपायों के लिए लघु उद्योग इकाइयों की सहायता सेवाएँ देने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय में 300 संवेदनशील मदों के आँकड़ों पर नजर रखने, उन्हें एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक 'बार-रूम' बनाया गया है। इनमें लघु उद्योगों से सम्बन्धित 67 ऐसी मदें हैं जो सार्वजनिक महत्व की हैं।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर आरंभिक समझौते से और विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकार के कानूनों में परिवर्तन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण भाग होने से बौद्धिक सम्पदा अधिकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया। अत: यह महसूस किया गया कि उद्योग को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के पहलुओं को समझने और उन पर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है। उपरोक्त संदर्भ में लघु उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रबंधन के लिए विभिन्न उद्योग संघों, वैयक्तिक उद्यमियों और राज्य सरकारों जैसी सहयोगी एर्जेसियों की क्षमताओं के निर्माण और उसे सुग्राही बनाने का निर्णय लिया है।

लघु उद्योग क्षेत्र को उदारीकरण और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करने के लिए लघु उद्योग मंत्रालय ने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय के माध्यम से विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन, जेनेवा, पेटेंट सुविधा केन्द्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकारों और उद्योग संघों के सहयोग से वर्ष 2001-02 के दौरान 14

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सुग्राही कार्यक्रम आयोजित किए।

पहले दो कार्यक्रम बेंगलूर और पूना में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) के वित्तीय और संभार सहयोग से आयोजित किए गए। अन्य कार्यक्रम लघु उद्योग विकास संगठन ने अपने लघु उद्योग सेवा संस्थानों के माध्यम से पेटेंट सुविधा केन्द्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय उद्योग संघों के सहयोग से आयोजित किए।

इन कार्यक्रमों का आयोजन संबंधित अधिकारियों/विशेषज्ञों के लेखों, वक्तव्यों और खुली वार्ता द्वारा सम्पन्न हुआ। इन आयोजनों में विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन, विभिन्न राज्य सरकारों/मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबन्ध संस्थानों के संव्यावसायिकों और विशेषज्ञों तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अटार्नियों/सलाहकारों को आमंत्रित किया गया था। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की भागीदारी उत्साहजनक रही। कार्यक्रमों में प्रतिभागियों के लाभार्थ संगत अध्ययन सामग्री, पेटेंट सुविधा केन्द्र, विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन और संबंधित लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा वितरित की गई। साथ ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सहयोग से अंग्रेजी और हिन्दी में महत्त्वपूर्ण और लाभकारी प्रकाशन उपलब्ध कराए गए हैं।

देश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है क्योंकि यह विषय वैश्वीकरण में अहम है।

लघु क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी

जैव-प्रौद्योगिकी (बॉयो टेक्नोलोजी) मानव और पशु के स्वास्थ्य, वनस्पति और कृषि-विज्ञान, खाद्य और पोषण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, शैक्षिक एवं नए ज्ञान विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग का एक महत्त्वपूर्ण आयाम जैव-विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी द्वारा मानव प्रयोग की दवाइयों और खाद्य पदार्थों के लिए एक नए और टिकाऊ उत्पाद का विकास करना है। जैव-प्रौद्योगिकी क्रांति ने फार्मास्यूटिकल, कृषि और प्रयोजनमूलक खाद्य क्षेत्रों को जीव-विज्ञान व्यवसायों को एक छत के नीचे लाकर एक नए और उभरते जीव-विज्ञान उद्योग को सृजित किया है।

भारत में विश्व की अति मोहक जैव-विभिन्नता है, जो अभी उजागर की जानी है। जैव-विभिन्नता के अलावा, भारत जटिल मानव आनुवंशिक निकाय में अद्वितीय है, जो असंख्य रोगों और आनुवंशिक त्रुटियों के निदान् में सहायक हो सकते हैं। जैव-प्रौद्योगिकी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सीमान्त स्थान रखता है। यह जीवन्त अवयवों और उन से उत्पन्न उत्पादों के व्यावहारिक प्रयोगों पर बल देता है।

विकसित विश्व की तुलना में भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। अधिकांश उद्योग परम्परागत उत्पादों जैसे एण्टीबायोटेक्स, वैक्सीन और न्यूनतम प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों जैसे मशरूम, पुष्पकृषि आदि का विनिर्माण करते हैं। जैव-प्रौद्योगिकी बहुमुखी होने के कारण इसने नए आयामों को प्रस्तुत किया है और विभिन्न शैक्षिक विषयों को जन्म दिया है। व्यावसायिक उद्यमियों के लिए भी इसमें व्यापक संभावनाएं हैं। मौजूदा और सम्भावी उद्यमियों के लाभ के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में व्यवहार्य अनेक परियोजनाएं सीडो के सहयोग से बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लि० द्वारा तैयार की गई हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में एक बायोटैक्नॉलोजी सैल खोला गया है। इस क्षेत्र में लघु उद्यमों के विकास और संवृद्धि हेतु नई पहलों का सुझाव देने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में एक कार्यबल का गठन भी किया गया है। बायोटैक्नॉलोजी सैल का उद्देश्य लघु उद्योगों में इस क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक गतिविधियों की संभावनाओं का पता लगाना और उसे विकसित करना भी है। इस दिशा में टिशू कल्चर, बायो-उर्वरक, बायो-कीटनाशक, मशरूम-खेती तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य किया जा रहा है।

जैव-प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए देश के विभिन्न भागों में सुग्राही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये सुग्राही कार्यक्रम बायोटैक्नॉलोजी विभाग और बायोटैक कंसोर्टियम इंडिया लि० नई दिल्ली के सहयोग से सीडो द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ऐसा पहला कार्यक्रम 27 दिसम्बर, 2002 को हैदराबाद में आयोजित किया गया था। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से मौजूदा और भावी उद्यमियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया रही है।

नागरिक अधिकार-पत्र

लघु उद्योग मंत्रालय

यह अधिकार पत्र भारत सरकार के लघु उद्योग मंत्रालय का एक घोषणा पत्र है जो लघु उद्यमियों और सामान्यत: भारत की जनता के लिए विशेष रूप से नीतियाँ, लक्ष्य और वायदे निगमित करता है।

लघु उद्योग मन्त्रालय (एस.एस.आई.) देश में लघु, मझोले और अति लघु उद्यमों के उन्नयन और प्रगति के लिए डिजाइन और नीतियाँ बनाने के लिए उत्तरदायी है। नीति का वास्तविक कार्यान्वयन मन्त्रालय के क्षेत्र-संगठनों जैसे लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) द्वारा उनके लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस.आई.एस.आई.) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एन.एस.आई.सी.) आदि द्वारा किया जाता है। क्रियान्वयन एजेन्सियों ने अपना पृथक नागरिक अधिकार पत्र बना रखा है।

हमारा लक्ष्य

हमारा लक्ष्य अति लघु, लघु और मझौले उद्योगों के लाभ के लिए सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ और एस.एस.आई. प्रगति को समर्थन देने के लिए सेवाएँ उपलब्ध करानेवाले और सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रबन्धन द्वारा लघु उद्योगों को हिमायती भूमिका के द्वारा समर्थन देना है।

हमारा लक्ष्य विपणन, निर्यात, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण और सामान्य सुविधाओं के क्षेत्रों में संस्थानीय समर्थन उपलब्ध कराकर लघु उद्योगों की सहायता और प्रगति पोषण का संवर्धन करना है। हमारा उद्देश्य नागरिकों को हमारी फील्ड एजेन्सियों, जैसे सीडो, एन.एस.आई.सी. के माध्यम से तुरंत सेवाएँ/प्रशिक्षण आवश्यकताएँ उपलब्ध कराना है ताकि लघु उद्योगों की प्रगति बढ़े, उत्पादन के स्तर में सुधार हो और अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।

हमारे नैतिक मूल्य

हम नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय निष्कपटता और सौजन्यता के साथ कुशल और तत्काल सेवा देने के लिए वचनबद्ध हैं।

हमारी वचनबद्धता

मन्त्रालय कर्त्तव्य परायण, अनुशासित रहेगा और उद्यमियों और लघु उद्योग एसोसिएशनों के अधिकारों का सम्मान करेगा।

मन्त्रालय, नागरिकों द्वारा दी गई व्यक्तिगत और व्यावसायिक सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा और समर्थन करेगा।

लघु उद्योग इकाइयों की सहायता करने के लिए लघु उद्योग इकाई एसोसिएशनों और अन्य समूहों के परामर्श से कानून और विनियमों का प्रबलन और प्रावधानों का पुनरीक्षण आवश्यक है।

सामान्य प्रक्रिया के लिए मानक

पत्र व्यवहार, मंत्रालय द्वारा प्राप्त पत्रों की पावती 15 दिनों में दे दी जाएगी।

हमारे नागरिकों के उत्तरदायित्व

मंत्रालय अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के स्तर और वे क्षेत्र जहाँ वे सुधारों की आशा करते हैं, के बारे में नागरिकों से निरन्तर फीड बैक की उम्मीद करता है।

हमारी निष्पत्ति का मूल्यांकन

मंत्रालय मीडिया के माध्यम से अपनी निष्पत्तियों को नागरिकों के साथ बाँटेगा (शेयर करेगा)।

मंत्रालय अपनी निष्पत्तियों के अवलोकन और मूल्यांकन के बारे में नागरिकों पर स्वतन्त्र सर्वेक्षण करेगा।

मार्गदर्शन और सहायता

मंत्रालय का सूचना और सुविधा काउंटर निर्माण भवन, नई दिल्ली के निचले तल पर द्वार संख्या 4 पर अवस्थित है और यह अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों और उनकी प्रगति के बारे में मंत्रालय और सम्बन्धित संगठनों की सेवाओं और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके लिए आप काउंटर पर जा सकते हैं या 011-23019219 पर फोन कर सकते हैं।

शिकायतें

किसी भी शिकायत के मामले में आप हमारे कार्यालय में टेलीफोन कर सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं या फैक्स कर सकते हैं अथवा कार्यालय में आ सकते हैं। तथापि ऐसी शिकायत दर्ज कराने से पहले मन्त्रालय के सूचना और सुविधा काउंटर पर सम्पर्क करें। सन्तुष्ट न होने के मामले में आप मामले को मन्त्रालय के शिकायत अधिकारी के पास ले जा सकते हैं। सूचना और सुविधा काउंटर और शिकायत सैल का पता, फोन नम्बर और फैक्स नम्बर निम्नानुसार हैं—

1. सूचना और सुविधा काउंटर
   गेट न० 4, भू-तल
   निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
   फोन नं. 23019219

2. शिकायत कक्ष
   निदेशक
   लघु उद्योग मन्त्रालय
   कमरा नं. 254, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
   टेलीफोन नं. 23015098
   फैक्स नं. 011-23014285

योजना आयोग द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में 10वीं योजना के लिए गठित कार्यकारी दल

लघु उद्यम कम पूंजी लागत पर एक व्यापक औद्योगिक आधार स्थापित करते हुए और उद्योगों को ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में विस्तीर्ण कर व्यापक रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे राष्ट्रीय आय और सम्पदा के वितरण को सुनिश्चित करते हुए सहायक उद्योगों के विकास को संवर्धित कर उन्हें बड़े और मझौले उद्योगों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। भारत सरकार के सभी औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्पों में निर्बाध सहायता से लघु उद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थ व्यवस्था में एक गतिशील एवं जीवन्त क्षेत्र के रूप में उभरा है और विनिर्माण क्षेत्र में इसका लगभग 40 प्रतिशत योगदान है।

सरकार ने राजस्व, वित्तीय और संस्थागत व्यवस्था के रूप में विभिन्न रूपों में लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता दी है।

इन पहलकदमियों के फलस्वरूप विगत वर्षों में लघु उद्योग ने स्वयं को भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग सिद्ध किया है। इस क्षेत्र से कुल औद्योगिक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है और इससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र रोजगार पैदा करने का सदा ही एक प्रमुख स्रोत रहा है। आज तक की उपलब्धियों को इसी कारण सन्तोषजनक कहा जा सकता है।

लघु उद्योग क्षेत्र योजना अवधियों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने 12 फरवरी, 2001 को 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए लघु उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल का गठन किया। बाद में 27 अप्रैल, 2001 को कार्यकारी दल की पहली बैठक में 6 उप-दल गठित किए गए जिनमें लघु उद्योग क्षेत्र के ही विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया। इनमें से आधारभूत संरचना और उद्यमिता से सम्बन्धित मुद्दों सहित नीति विनियमन, आरक्षण और वैश्वीकरण से सम्बन्धित दल अपर सचिव और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में गठित किया गया।

योजना आयोग ने भी आयोग के सदस्य श्री एस. पी. गुप्ता की अध्यक्षता में 10वीं योजना तैयार करने के लिए वी एस आई क्षेत्र से सम्बन्धित एक स्थायी समिति गठित की है। इसकी पहली बैठक 10.5.2001 को हुई जिसमें स्थायी समिति ने व्यापक निदेश दिए जिन्हें 10वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय ध्यान में रखना होगा।

कार्यकारी दल की सिफारिशें

योजना आयोग द्वारा कार्यकारी दल हेतु दिए गए विचारार्थ विषयों के आधार पर कार्यकारी दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। योजना आयोग ने इन सिफारिशों पर विचार करके 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु लघु उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियाँ दीं। इनमें से प्रमुख संस्तुतियाँ निम्न हैं :

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में योजना आयोग की संक्षेप में संस्तुतियाँ

1. राज्य स्तर पर नियमन बहुत बोझिल तथा कष्टपूर्ण हैं। इनकी कार्यसम्पादन लागत अधिक है तथा ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।
2. नियन्त्रणों के उदारीकरण की सिफारिश तथा अनावश्यक प्रक्रियाएँ समाप्त करना।
3. पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करना।
4. प्रोएक्टिव बैंकिंग नीति जो बैंकों को लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं साथ ही साथ ऋण मूल्यांकन में बैंकिंग अध्यवसाय को बनाए रखने में सक्षम बनाए।
5. सार्वजनिक बैंकों का शीघ्र ऋण स्वीकृति एवं संवितरण के लिए आधुनिकीकरण करना।
6. विशेषज्ञों का विचार है कि रोजगार पर आरक्षण नीति के प्रभाव को सावधानीपूर्वक जाँच करने के पश्चात् आरक्षण को चरणबद्ध रूप से हटाया जाए। डा. एस. पी. गुप्ता 'अध्ययन समूह' ने सिफारिश की कि मदों को अनारक्षित करते समय स्टेकहोल्डर्स से परामर्श कर लेना उचित होगा।

7. लघु उद्योग इकाइयों के लिए निवेश सीमा बढ़ाने के लिए अधिमानी अवसर तथा बड़ी इकाइयों के प्रवेश को प्रतिबन्धित करना।

8. लघु तथा वृहत के बीच अनुबन्धन को प्रोत्साहन, जो नीतियाँ इस सम्बन्ध में बाधक हैं उनकी पहचान करके उन्हें हटाया जाना चाहिए।

9. कार्यशील पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों का रिकार्ड रखने तथा बंदपंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को सूची से निकालने के लिए इनबिल्टकम्पोनेंट विकसित करने की आवश्यकता है।